

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

रा० इ० ५० जोगध उत्तरकाशी

7. परियोजना / स्कीम का स्थान

- | | | |
|-------|---|----------------------------|
| i) | राज्य / संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | उत्तरकाशी |
| iii) | वन प्रभाग | उत्तरकाशी वन प्रभाग |
| iv) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 0.90 हेक्टेयर |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | आरक्षित वन भूमि |
| vi) | हरियाली का घनत्व | 0.6 |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफओआरओएल - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | वृक्षों की सूची संलग्न है। |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | नहीं है। |
| ix) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | वन क्षेत्र के अन्दर है। |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) | नहीं है। |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं है। |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा संक्षेप प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं है। |

प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

संलग्न है।

क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

नहीं

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत बाचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिच्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न है।

2-

प्रभाग/जिला प्रोफाइल

वन विभाग/शिक्षा विभाग

- | | | |
|------|--|-----------------------------------|
| i. | जिला का भौगोलिक क्षेत्र। | 801600 हेक्टेअर |
| ii. | जिला का वन क्षेत्र। | 695783.35 हेक्टेअर |
| iii. | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। | 347 मामले तथा 1201.63376 हेक्टेअर |
| iv. | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण | |
| (क) | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | रिक्त |
| (ख) | वनेत्तर भूमि पर अब, तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति | 487.50 हेक्टेअर |
| (क) | वन भूमि पर | रिक्त |
| (ख) | वनेत्तर भूमि पर | 487.50 हेक्टेअर |

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

कार्यदायी संस्था द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास किये जायेंगे। अतः संस्तुति प्रदान की जाती हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

उत्तरकाशी

प्रमुख वनाधिकारी

उत्तरकाशी वन प्रभाग

सरकारी मोहरउत्तरकाशी